# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-16

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1929)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य राज्य सभा श्री संभाजीराव चन्द्रोजीराव आंग्रे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री सीताराम साधो तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भूतपूर्व प्रांत संघचालक श्री उत्तमचंद इसराणी के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, रामलखन शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, हमीद काजी तथा आरिफ अकील ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.42 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर पूर्वाह्न 10.47 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

(भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा सदन में एक साथ खड़े होकर श्री किशोर समरीते, सदस्य के साथ हुई राज्यसभा निर्वाचन संबंधी घटना का उल्लेख किया गया। सदन में नारेबाजी, व्यवधान एवं शोरगुल का वातावरण होने के कारण प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 10.48 बजे कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

**पूर्वाह्न 11.31 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

(सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर जोर से बोलने के कारण सदन में व्यवधान तथा शोरगुल का वातावरण बना। अध्यक्ष महोदय की समझाइश पर सत्ता पक्ष के सदस्यगण अपने आसनों पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री किशोर समरीते, सदस्य को बोलने की अनुमति दी गई किन्तु भारी व्यवधान के कारण वे अपनी बात नहीं कह सके। कुछ समय पश्चात् श्री किशोर समरीते, सदस्य अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए तथा अध्यक्ष महोदय को एक लिखित पत्र देकर अपने आसन पर वापस गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूरी कार्यवाही के दौरान नारेबाजी, व्यवधान एवं शोरगुल के वातावरण में, कार्यसूची में उल्लिखित विषयों का संचालन किया गया।

## 3. नियम 267-क के अधीन विषय

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -**

(1) श्री अश्विन जोशी, सदस्य की इन्दौर के राला मण्डल अभ्यारण्य को समाप्त किये जाने;

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के ग्रामीण, तहसील और शहरी क्षेत्रों में अवैध पैथालॉजी एवं झोलाछाप डाक्टरों द्वारा अवैध रूप से कार्य किये जाने;

(3) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की भोपाल के नेहरू नगर स्थित सड़कों पर अवैध निर्माण होने;

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की नगर निगम भोपाल वार्ड क्रमांक 2 के केम्प क्रमांक-12, सी.टी.ओ. में पेयजल की समस्या होने;

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की खण्डवा जिले के विकास खण्ड खालवा के ग्राम चैनपुर में सरकार द्वारा चलाई जा रही लघु सिंचाई योजनाओं में भ्रष्टाचार होने;

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की हरदा जिले के स्टॉम्प वैण्डरों एवं दस्तावेज लेखकों द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने;

(7) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की सीधी जिले के डिवीजन-2 के अंतर्गत देवसर के सब-डिवीजन निवास में विद्युत की अनुपलब्धता होने;

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के कराहल विकास खण्ड के ग्राम दांसी में विद्युत लाइन की चोरी होने एवं स्पॉट सोर्स योजनाएं बंद होने;

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा कटारा हिल्स एवं बाग मुंगालिया में एक ही श्रेणी के मकान बनाये जाने एवं अलग-अलग राशि वसूलने;

(10) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत बाबई की ग्राम पंचायत शिवपुरी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण न किये जाने;

(11) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले के ग्राम जसवाड़ी से खिड़गांव, एढ़ अर्दल तक की पक्की सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रहने;

(12) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की खरगौन जिले के सिविल अस्पताल, सनावद में असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर व स्टाफ के साथ मारपीट किये जाने;

(13) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य की भोपाल के माता मंदिर स्थित हाऊसिंग बोर्ड की कालोनी लुम्बिनी में गंदे पानी का प्रदाय किये जाने;

(14) श्री लालसिंह आर्य, सदस्य की गोहद विधान सभा क्षेत्र सहित भिण्ड जिले में निरंतर सात वर्षों से सूखा पड़ने के कारण अधिकांश हैण्ड पम्पों में पानी न आने;

(15) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत नियुक्त व्याख्याताओं की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर उन्हें नियमित किये जाने;

(16) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल मोतिया तालाब में विषैला पदार्थ छोड़े जाने से मछलियों के मरने;

(17) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय उ.मा.विद्यालय (रघुराज क्र.1), शहडोल में पदस्थ अर्थशास्त्र की व्याख्याता के छः वर्षों से अनुपस्थित रहने;

(18) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के वसुधा हाई स्कूल हेतु स्वीकृत पदों पर पदस्थापना नहीं किए जाने;

(19) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम बामौरकलां में तोड़े गये मकानों का मुआवजा न दिये जाने;

(20) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत अमदरी में निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटे जाने;

(21) श्री हुकुम चंद यादव, सदस्य की खंडवा जिले के हरसूद में निर्धारित दर से कम मुआवजा राशि दिये जाने तथा

(22) श्री जगदीश मुवेल, सदस्य की धरमपुरी क्षेत्र के डूब प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि न दिये जाने **संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी गई मानी गई।**

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2005-2006);

(ख) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 का व्याख्यात्मक ज्ञापन, तथा

(ग) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर, पटल पर रखे।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां) तथा (सिविल) पटल पर रखा।

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश का पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा विधान सभा क्षेत्रवार परिणाम वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा।

(4) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार उच्च शिक्षा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ-36-10-03-3-अड़तीस, दिनांक 2 जून, 2007, तथा

(2) अधिसूचना क्रमांक आर-क्र-1016-सी सी-07 अड़तीस, दिनांक 2 जनवरी, 2008,

पटल पर रखीं।

(5) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) (ख) की अपेक्षानुसार मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 45वां वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 पटल पर रखी।

(6) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2005-2006 पटल पर रखा।

## 4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में सम्मिलित, ध्यान आकर्षण की सभी 39 सूचनाएं तथा इन पर विभागों के उत्तर सदन में पढ़े हुए माने जाएंगे। ध्यानाकर्षण सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य भी कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

**अत: अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -**

(1) सर्वश्री गोविन्द सिंह पटेल, सत्यदेव कटारे तथा जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर लूटपाट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(2) श्री ताराचंद बावरिया, पं. रमेश दुबे तथा श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के ग्राम डोंगर परासिया में शासकीय भूमि पर डायमण्ड कोल ट्रेडर्स द्वारा अतिक्रमण किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य;

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना नगर में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य;

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के करेली नाके पर टोल टैक्स कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(5) श्री किशोर समरीते, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम फोफसा में एक छात्रा के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(6) श्री लालसिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में गेहूं के स्थान पर बाजरा प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य;

(7) श्री सुनील नायक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के विकासखंड जतारा में पंचायतकर्मियों की भर्ती में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य;

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड एवं दतिया जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य;

(9) श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, सदस्य की छतरपुर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत गंभीर अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य;

(10) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य की सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन, इंदौर के कोषाध्यक्ष के साथ मारपीट कर लूटपाट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(11) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य की शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य;

(12) श्री हरवंश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के संजय सरोवर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य;

(13) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा थानान्तर्गत मेहतवास स्थित जैन मंदिर से मूर्ति चोरी होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(14) श्री आरिफ अकील, सदस्य की नगर निगम भोपाल को गैस दावा मुआवजा अधिकरण द्वारा दी गई राशि के चैक गायब होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य;

(15) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की प्रदेश के वन ग्रामों में अधोसंरचना हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य;

(16) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य;

(17) श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम सबसुख के पुरा से शिक्षकों का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(18) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल एवं सीहोर जिले में अवैधानिक रूप से खनिज सम्पदा का परिवहन किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य;

(19) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले की कराहल तहसील में चोरी की घटनाएं घटित होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(20) श्री रामगुलाम उईके, सदस्य की सिवनी जिले में विद्युत वोल्टेज की कमी होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य;

(21) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले में विद्युत कटौती से कृषि कार्य प्रभावित होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य;

(22) सर्वश्री अर्जुन पलिया, किशोर समरीते तथा डॉ. सुनीलम्, सदस्य की होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हत्या के फर्जी प्रकरण कायम किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(23) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम विचपुरा एवं ददरा टोला में लगी क्रेशर मशीनों द्वारा स्वीकृत लीज से अधिक क्षेत्र में उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य;

(24) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले की नगर पालिकाओं में पेयजल परिवहन के नाम पर अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य;

(25) श्री विक्रम सिंह नातीराज, सदस्य की छतरपुर जिले के कुटनी बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य;

(26) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर,सदस्य की टीकमगढ़ स्थित बैकुण्ठी निवास में डकैती होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(27) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दवाइयों का अभाव होने संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य;

(28) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा भैरवगढ़ में पारंपरिक छपाई का कार्य न कराये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ग्रामोद्योग का वक्तव्य;

(29) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के जतारा मऊरानीपुर सड़क मार्ग पर एक महिला सहित चार बच्चों की लाशें पाई जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(30) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड से एक व्यापारी का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(31) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य की उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में केरोसीन न मिलने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य;

(32) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री राजेश पटेल तथा सुनील नायक, सदस्य की हरदा में स्टाम्प वेंडरों द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य;

(33) सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भोपाल सहित प्रदेश के अनेक जिलों में आपराधिक घटनाएँ घटित होने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य;

(34) श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री आरिफ अकील, सदस्य की सीहोर कोतवाली पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(35) श्री अजय सिंह, सदस्य की मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की सीमा पर बनने वाले उर्मिल बांध पर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अवैध रूप से जेकवेल का निर्माण करने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य;

(36) सर्वश्री सत्यदेव कटारे तथा अश्विन जोशी, सदस्य की प्रदेश के कोषालयीन अधिकारियों द्वारा हड़ताल किये जाने संबंधी सूचना तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य;

(37) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के मैहर क्षेत्र में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य;

(38) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी सुरक्षा योजना का लाभ हितग्राहियों को न मिलने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य;

(39) श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की गुना जिले के झागर पुलिस चौकी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस प्रताड़ना से आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

**सदन में पढ़े हुए माने गए।**

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -**

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के ग्राम व पोस्ट मलाह पिपरिया से शराब की दुकान हटाये जाने,

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) जौरा तहसील की बरेंड़ हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) जौरा तहसील के ग्राम पहाड़गढ़ में महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) जुन्नारदेव नगर की चन्द्रशेखर माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) विकास खण्ड मोहखेड़ के ग्राम प्रधान घोघरी में हाईस्कूल खोले जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) उप तहसील बड़ोदा की कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) उप तहसील बड़ोदा के बाबूनन्दन की पुलिया से शिववाड़ी रोड की पुलिया तक डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम गलमान्या के समीप खाड़ी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(घ) गिरधरपुर-दांतरदा मार्ग में बागड़ नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम सिरसोद में पेयजल समस्या दूर करने हेतु हैण्डपंपों का उत्खनन कराये जाने,

(च) ग्राम अजापुरा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,

(छ) ग्राम किलोरच में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ज) ग्राम खातोली से टर्रा माफी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

संबंधी याचिकायें पढ़ी गई मानी गई।

## 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सभापति ने प्राक्कलन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री लाल सिंह आर्य, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं नवम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी की जाती रही)

## 7. अध्यक्षीय निर्देश

श्री किशोर समरीते, सदस्य द्वारा गर्भगृह में आकर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को एक पत्र सौंपा गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही के रिकार्ड में लिए गए इस पत्र की जानकारी दी गई, जिसके अनुसार कांग्रेस की तरफ से उनको जान का खतरा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिया गया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि आसंदी के निर्देश का पालन किया जाएगा तथा श्री किशोर समरीते, सदस्य को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा।

## 8. मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाय.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 9. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

**(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि -**

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की निम्नलिखित सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय :-

"(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा रेल्वे के सतर्कता अधिकारियों के विरूद्ध;

(2) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध;

(3) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध एवं

(4) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य विधान सभा द्वारा जिलाध्यक्ष बुरहानपुर, तत्कालीन उप जिलाध्यक्ष बुरहानपुर, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेपानगर जिला-बुरहानपुर, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग बुरहानपुर एवं जिला प्रभारी आदिवासी विकास विभाग बुरहानपुर के विरूद्ध।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**(2) श्री लालसिंह आर्य, सभापति ने प्रस्ताव किया कि -**

"कुप्रबंधन के कारण विद्युत उत्पादन कम एवं व्यय अधिक होने विषयक विशेष जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 10. वन मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार कुंवर विजय शाह, वन मंत्री का दिनांक 23 मार्च, 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 2305) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाएगा।

## 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

## 12. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह-गान किया गया।

पूर्वाह्न 11.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

**डॉ. ए.के. पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**